



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 17.03.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 149/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.02.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बागपत द्वारा पूर्व में आपराधिक घटनाओं में लिप्त अभियुक्त आदर्श उर्फ काले पुत्र गुलवीर सिंह निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व उसके साथियों के विरुद्ध थाने पर मु0अ0सं0 149/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था ।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 149/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आदर्श उर्फ काले पुत्र गुलवीर सिंह निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 834/23 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 853/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 876/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 149/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महेशचन्द शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 885 हरिओम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 17.03.2024

थाना छपरौली पुलिस ने सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ वायरल फोटो का संज्ञान लेते हुये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का तमन्चें के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लिया गया एवं व्यक्ति को चिन्हित किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ वायरल फोटो पर संज्ञान लेते हुये एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अक्षय पुत्र महेशपाल निवासी ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री रविन्द्र सैनी थाना छपरौली ।
- 2-का0 511 धर्मेन्द्र सिंह थाना छपरौली ।





प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 17.03.24

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 34 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 34 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

धर्मेन्द्र पुत्र भगवाने निवनासी ग्राम लतीफपुर दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 34 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-का0 917 दयाशंकर थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक-17.03.2024

थाना रमाला व थाना बडौत की संयुक्त टीम ने थाना रमाला के मु0अ0सं0 58/24 धारा 420 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर जालसाज अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त भभूती (राख जैसा नशीला पदार्थ), 01 कार एसैन्ट नं0 HR-06AZ-7643 व 9000 रुपये नगद तथा 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.03.2024 को थाना रमाला पर वादी श्री अशोक कुमार पुत्र भंवर सिंह निवासी कस्बा दोघट थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि 02 अज्ञात अभियुक्तों ने उससे जालसाजी करते हुये भभूती (राख जैसा नशीला पदार्थ) देकर 40,000



रुपये ले लिये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 58/24 धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों 1.अमित पुत्र कर्मनाथ, व 2.सुरेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र कर्मनाथ निवासीगण ग्राम वजीरपुर टिटाना थाना समालखा जनपद पानीपत हरियाणा के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला व थाना बडौत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना रमाला के मु0अ0सं0 58/24 धारा 420 भादवि का सफल अनावरण करते हुए शातिर 02 जालसाज अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त भभूती (राख जैसा नशीला पदार्थ), 01 कार एसैन्ट नं0 HR-06AZ-7643 व 9000 रुपये नगद तथा 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.अमित पुत्र कर्मनाथ निवासी ग्राम वजीरपुर टिटाना थाना समालखा जनपद पानीपत हरियाणा ।

2-सुरेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र कर्मनाथ निवासी ग्राम वजीरपुर टिटाना थाना समालखा जनपद पानीपत हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- घटना में प्रयुक्त 01 कार एसैन्ट नं0 HR-06AZ-7643
- जालसाजी करके ली गये रूपयों में से 9000 रूपये ।
- भभूति (राख जैसा नशीला पदार्थ)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री शिवदत्त सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री उमेश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का0 301 मुलायम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-है0का0 316 नागेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत ।

5-का0 666 रघुवीर थाना बडौत जनपद बागपत ।